



Neutral Citation Number- 2026:AHC:500026

एएफआर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामला संख्या - 3024 / 2026

श्रीमती रीना गुप्ता

.....याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

ठाकुर हनुमान जी महाराज प्राइवेट ट्रस्ट विराजमान मंदिर

.....प्रत्यर्थी (ओं)

याचिकाकर्ता (ओं) के अधिवक्ता : आशीष गोयल

प्रत्यर्थी (ओं) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 35

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष गोयल की ओर से उपस्थित हुए श्री प्रशांत पांडे को सुना गया।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 5, हाथरस द्वारा दिनांक 28.01.2026 को एससीसी पुनरीक्षण संख्या 31/2020 (ठाकुर हनुमान जी महाराज प्राइवेट ट्रस्ट बनाम श्रीमती रीना गुप्ता) में पारित आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी गई है। इस पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)/लघु वाद न्यायाधीश, सादाबाद, जिला हाथरस द्वारा दिनांक 27.08.2020 को विविध मामला संख्या 01/2020 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है और सम्बंधित न्यायालय को प्रस्तावित लघु वाद न्यायालय में वाद को पंजीकृत करने और विपक्षी पक्ष को सूचना जारी करने के बाद मामले की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

3. दिनांक 27.05.2020 को दायर वादपत्र से यह वाद उत्पन्न हुआ, जिसे श्री दामोदरदास के दत्तक पुत्र देवकीनन्दन अग्रवाल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वयं को ठाकुर हनुमान जी महाराज प्राइवेट ट्रस्ट विराजमान मंदिर, धर्मशाला मोतीराम जी, ग्राम शेरपुर, विनोबा नगर, सलेमपुर रोड, तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस का प्रबंध न्यासी बताया। वादपत्र में यह आरोप लगाया गया कि उक्त ट्रस्ट शेरपुर, सलेमपुर रोड, विनोबा नगर, सादाबाद, जनपद हाथरस स्थित एक दुकान का स्वामी एवं मकान-मालिक है तथा प्रतिवादी, श्रीमती रीना गुप्ता, उक्त दुकान की किरायेदार हैं। यह भी कहा गया कि दिनांक 16.02.2017 से वह उक्त परिसर में ₹1,500 प्रति माह के किराए पर रह रही हैं, जिसमें 10% जलकर तथा 10% गृहकर सम्मिलित है।

4. आगे यह दलील दी गई कि 15.01.2017 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में किराया 10% बढ़ाया जाना था और चार महीने तक किराया न चुकाने की स्थिति में किरायेदार को 2 रुपये प्रति सौ की दर से ब्याज देना होगा। वादी ने दावा किया कि 16.11.2019 से किराया बकाया है और बार-बार मांग करने के बावजूद किरायेदार ने भुगतान नहीं किया है। यह भी दलील दी गई कि 18.03.2020 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादी को किराया बकाया की मांग करते हुए और परिसर खाली करने के लिए एक कानूनी सूचना भेजा गया था। वादी के अनुसार, सूचना प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादी ने न तो "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किराया बकाया चुकाया और न ही परिसर खाली किया। परिणामस्वरूप, वादी ने प्रतिवादी को बेदखल करने और रुपये 15,329 के किराया बकाया की वसूली के साथ-साथ अन्य परिणामी राहतों की मांग की।

5. 29.05.2020 को हाथरस ज़िले के सदाबाद में सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) लघु वाद न्यायालय में वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद-पत्र पेश होने पर, विचारण न्यायालय ने देखा कि वादी, यानी देवकीनंदन अग्रवाल, जो खुद को न्यास का प्रबन्धक न्यासी बता रहे थे, ने यह साफ़ तौर पर नहीं बताया था कि उन्हें किस आधार पर न्यासी नियुक्त किया गया था या उन्हें न्यास की ओर से वाद करने का अधिकार कैसे मिला था। इस आधार पर, विचारण न्यायालय ने मामले को लघु वाद के रूप में पंजीकृत नहीं किया, बल्कि वाद-पत्र को एक विविध मामले के रूप का माना और इसे विविध मामला संख्या 01/2020 के रूप में पंजीकृत किया। विचारण न्यायालय ने वादी को यह भी निर्देश दिया कि वे न्यास की ओर से कार्यवाही शुरू करने के अपने अधिकार के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

6. इसके बाद विचारण न्यायालय ने वाद को स्वीकार करने के सवाल पर वादी की बात सुनी। इस कार्यवाही के दौरान, विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ अभिलेखों की जांच की, जिनमें 09.09.1941 का न्याय विलेख, 07.09.1971 की बैठक की कार्यसूची और बैठक की कार्यवाही का विवरण शामिल थे। उन अभिलेखों की जांच करने के बाद, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि देवकीनंदन अग्रवाल मूल न्यास विलेख का हिस्सा नहीं थे और जिन अभिलेखों पर उन्होंने भरोसा किया था, उनसे न्याय प्रबंधक के तौर पर उनकी नियुक्ति या न्यास की ओर से वाद दायर करने का उनका अधिकार संतोषजनक ढंग से साबित नहीं होता था। इसी आधार पर, विचारण न्यायालय ने 27.08.2020 के आदेश से वाद को शुरुआती चरण में ही अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने माना कि वादी न्यास को प्रबंधन करने का अपना अधिकार सिद्ध करने में असफल रहा था और इसलिए उसे वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं था।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, वादी ने हाथरस के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 5 में प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 25 के तहत लघु वाद पुनरीक्षण संख्या 31/2020 दायर किया। पुनरीक्षण में यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने वाद दायर करने के चरण में न्यास प्रबंधन के अधिकार पर सवाल उठाकर और वाद पत्र को लघु कारण वाद के रूप में पंजीकृत करने के स्थान पर उसे एक विविध आवेदन मानकर विधि की स्पष्ट गलती की थी। यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय के पास वाद प्रारम्भ करने के चरण में न्यास के आंतरिक प्रबंधन या न्यास प्रबंधन के अधिकार की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, खासकर तब जब प्रतिवादी को अभी तक कोई सूचना नहीं दिया गया था और उसने वादी की स्थिति के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।

8. पुनरीक्षणवादी ने आगे तर्क दिया कि न्यास 1941 से अस्तित्व में था और न्यास विलेख एक पंजीकृत अभिलेख था। पुनरीक्षणवादी के अनुसार, विचारण न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के न्यास विलेख के नवीनीकरण और न्यास के आंतरिक प्रशासन से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया, जिनकी जाँच वाद प्रारम्भ होने के शुरुआती चरण में करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने वाद को पंजीकृत किए बिना ही प्रारंभिक चरण में मामले को अस्वीकार करके विधि विरुद्ध और मनमाना काम किया।

9. प्रतिवादी-किरायेदार ने पुनरीक्षण की कार्यवाही में हिस्सा लिया और आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि 'प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम' की धारा 25 के तहत यह पुनरीक्षण ही स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि जिस आदेश को चुनौती दी गई थी, वह एक विविध आवेदन में पारित किया गया था, न कि लघु वाद न्यायालय में पंजीकृत किसी वाद में। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने सही कहा था कि देवकीनंदन अग्रवाल न्यास के प्रबंधक न्यासी के रूप में अपनी नियुक्ति सिद्ध करने वाला कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, और इसलिए उन्हें कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी ने बताया कि भले ही

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



09.09.1941 का न्यास विलेख और कुछ बैठक की कार्यसूची व बैठक का विवरण प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन विचारण न्यायालय ने पाया था कि देवकीनंदन अग्रवाल मूल न्यास विलेख का हिस्सा नहीं थे और जिन अभिलेखों का हवाला दिया गया था, उनसे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं होता था कि उन्हें किस विधिक आधार पर न्यास का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। इसी आधार पर यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने वाद को सही ढंग से अस्वीकार किया था।

10. पुनरीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया और वाद के अभिलेख की जांच की। यह पाया गया कि विचारण न्यायालय में जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था, वह वास्तव में एक किराएदार को बेदखल करने और किराए की बकाया रकम वसूलने का वाद था, जिसकी सुनवाई लघु वाद न्यायालय में होनी चाहिए थी। पुनरीक्षण न्यायालय ने यह भी देखा कि विचारण न्यायालय ने वाद को लघु वाद के रूप में पंजीकृत करने और प्रतिवादी को सूचना भेजने के बजाय, इसे एक विविध आवेदन माना और प्रतिवादी को सूचना मिलने से पहले ही न्यास प्रबंधन के अधिकार के बारे में जांच शुरू कर दी।

11. विचारण न्यायालय की कार्यवाही की समीक्षा करने पर, पुनरीक्षण न्यायालय ने पाया कि न्यास प्रबंधक के तौर पर देवकीनंदन अग्रवाल की स्थिति के बारे में प्रश्न स्वयं न्यायालय ने उठाए थे और वादी को अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विचारण न्यायालय ने न्यास विलेख और बैठकों के विवरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की और वादी के अधिकार के बारे में निष्कर्ष दर्ज किए। पुनरीक्षण न्यायालय के अनुसार, सबूत इकट्ठा करने और उनका मूल्यांकन करने तथा निष्कर्ष दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया विचारण न्यायालय ने बिना वाद पंजीकृत किए और बिना प्रतिवादी को सूचना जारी किए, अपनी पहल पर की थी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. इस परिस्थिति को देखते हुए, पुनरीक्षण न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय ने जो तरीका अपनाया, वह 'लघु वाद न्यायालय के वाद को प्रारम्भ करने और उनकी सुनवाई से जुड़े तय विधिक नियमों के विरुद्ध था। न्यायालय ने देखा कि ऐसे वादों में आमतौर पर जो प्रमुख प्रश्न उठते हैं, वे मकान मालिक-किरायेदार के रिश्ते और बेदखली के आधारों से जुड़े होते हैं। इन प्रश्नों की जांच तभी की जानी चाहिए जब वाद पंजीकृत हो जाए और दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिले। किसी न्यास या विधिक संस्था की ओर से कार्यवाही प्रारम्भ करने के किसी व्यक्ति के अधिकार से जुड़े प्रश्न प्रतिवादी कार्यवाही के दौरान उठा सकता है और न्यायालय दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उन पर निर्णय कर सकता है।

13. इन बातों पर विचार करने के बाद, पुनरीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय ने न्यास प्रबंधक के अधिकार को स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने और वाद को बिना पंजीकृत किए तथा प्रतिवादी को सूचना जारी किए बिना ही प्रारंभिक चरण में अस्वीकार करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसके अनुसार, पुनरीक्षण न्यायालय ने 27.08.2020 के आदेश को निरस्त कर दिया और विचारण न्यायालय को निर्देश दिया कि वह वाद को लघु वाद न्यायालय के वाद के रूप में पंजीकृत करे और विपक्षी पक्षकार को सूचना जारी करने के बाद विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही करे।

14. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क सुने हैं और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को देखा है। इस याचिका का मामला काफी सीमित है और मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए वाद पत्र पर कार्रवाई करते समय जो प्रक्रिया अपनाई, वह विधिक रूप से सही थी या नहीं।

15. विचार के लिए प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय का यह कदम सही था कि उसने वाद प्रारम्भ होने के समय न्यास की ओर से वाद करने वाले व्यक्ति के अधिकार के बारे

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में खुद से जांच की, और मामले को 'लघु वाद न्यायालय के वाद के रूप में पंजीकृत किए बिना और प्रतिवादी को सूचना भेजे बिना ही प्रारंभिक चरण में निरस्त कर दिया।

16. इस चरण पर, सिविल वादों को प्रारम्भ करने और उनकी सुनवाई से जुड़ी प्रक्रिया को समझना सही रहेगा। सिविल कार्यवाही में 'वाद-पत्र' प्रस्तुत करना और वाद की सुनवाई अलग-अलग चरण हैं, और हर चरण के अपने प्रक्रियात्मक नियम होते हैं। जहाँ वाद प्रारम्भ करने के चरण में वाद-पत्र की प्रारंभिक जाँच-पड़ताल होती है, वहीं तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों पर निर्णय आम तौर पर तब होता है जब प्रतिवादी को सूचना मिल जाती है और दोनों पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत कर लेते हैं।

17. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अभिलेख से प्रगट हो रही इस बात को गलत नहीं सिद्ध कर पाए कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए वाद को लघु वाद कारण के वाद के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, और विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को सूचना जारी होने से पहले ही वादी के वाद प्रारम्भ करने के अधिकार की जांच प्रारम्भ कर दी थी। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने न्यास के आंतरिक कार्यवाही से जुड़े अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष निकाले और मामले को प्रारंभिक चरण में ही निरस्त कर दिया।

18. ऐसा करने में विचारण न्यायालय ने जो तरीका अपनाया, वह विधिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। जब सिविल न्यायालय के समक्ष कोई वाद-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो आम तौर पर न्यायालय को यह जांचना होता है कि क्या वाद-पत्र में कार्यवाही का कोई आधार बताया गया है और क्या अभिलेख से ही यह साफ पता चलता है कि वाद चलाने में कोई विधिक रुकावट है। अगर वाद-पत्र में कार्यवाही का आधार बताया गया है और ऐसी कोई रुकावट नहीं दिखती है, तो न्यायालय को वाद पंजीकृत करना चाहिए और प्रतिवादी को सूचना भेजकर

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विधि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का मौका मिलने के बाद विवाद का निपटारा किया जा सके।

19. इस मामले में, विचारण न्यायालय ने तय प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, न्यास के आंतरिक कामकाज और वाद प्रारम्भ करने के लिए वादी के अधिकार की जांच प्रारम्भ कर दी। विचारण न्यायालय ने न्यास विलेख बैठक की कार्यसूची और बैठक के विवरण जैसे अभिलेखों की जांच की और न्यास प्रबंधक के अधिकार के बारे में निष्कर्ष दर्ज किए। विचारण न्यायालय ने यह पूरी प्रक्रिया प्रतिवादी को कोई सूचना दिए बिना और वादी के अधिकार को लेकर प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति उठाए बिना ही पूरी की।

20. इस न्यायालय का मानना है कि विचारण न्यायालय का तरीका बुनियादी तौर पर गलत था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि न्यास के अंदरूनी कामकाज के बारे में खुद से सबूतों की जांच प्रारम्भ करके, विचारण न्यायालय ने कार्यवाही में न्यायाधीश और विरोधी पक्षकार, दोनों की भूमिका निभा ली। इस न्यायालय की राय में, वाद प्रारम्भ होने के चरण में जितनी जांच की अनुमति होती है, यह उससे कहीं ज्यादा थी। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज होने और प्रतिवादी को सूचना जारी होने से पहले ही स्वयं से साक्ष्य इकट्ठा करने और उनकी जांच-पड़ताल करने का काम प्रारम्भ कर दिया। ऐसा करना सिविल कार्यवाही के उस ढांचे के विरुद्ध है जिसमें तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों की जांच तभी की जाती है, जब दोनों पक्षों को अपनी-अपनी बात रखने और उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा चुका हो।

21. इस मामले में जो सिद्धांत स्पष्ट रूप से सामने आता है, वह यह है कि वाद प्रारम्भ होने के चरण में न्यायालय सिर्फ वाद पत्र की सीमित और प्रारंभिक जांच करती है। ऐसी जांच का उद्देश्य सिर्फ यह पता लगाना होता है कि क्या तर्कों से वाद करने का कोई आधार बनता है और क्या अभिलेख को देखने पर वाद को सुनने में कोई विधिक रुकावट दिखाई देती है। उस चरण में न्यायालय से साक्ष्यों की परख या तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों के निर्णय जैसी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायिक प्रक्रिया करने की उम्मीद नहीं की जाती है। न्यास जैसे किसी विधिक इकाई की ओर से कार्यवाही शुरू करने के किसी व्यक्ति के अधिकार से जुड़े प्रश्नों के लिए आम तौर पर न्यास विलेख प्रस्तावों, बैठकों के विवरण या नियुक्ति या अधिकार की पुष्टि करने वाले अन्य अभिलेखों की जांच की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों के निर्णयों में तथ्यों आस-पास की परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक होता है, इसलिए यह तथ्य और विधि का मिला-जुला प्रश्न बन जाता है। आम तौर पर, प्रतिवादी को लिखित कथनों में ऐसी आपत्तियां उठानी होती हैं, जिसके बाद न्यायालय निर्णय के लिए कोई उचित विषय या प्रश्न तय कर सकती है और दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के बाद उस पर निर्णय कर सकती है। प्रारंभिक चरण में ही न्यायालय द्वारा ऐसी जाँच करने का कोई भी प्रयास, विशेष रूप से दूसरे पक्षकारों को सूचना दिए बिना, सिविल वादों को चलाने के तय प्रक्रियात्मक ढाँचे से विरत होना माना जाएगा।

22. किसी वाद के संस्थापन के चरण में, सिविल न्यायालय को केवल वाद पत्र की प्रारंभिक जांच तक ही सीमित रहना होता है। वह विवादित तथ्यों या साक्ष्यों की मूल्यांकन वाले प्रश्नों पर स्वप्रेरणा से कोई जांच नहीं कर सकता, विशेषकर प्रतिवादी को सूचना दिए बिना।

23. उपर्युक्त सिद्धांतों को वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय ने वाद के संस्थापन के चरण में अनुमेय सीमित परीक्षण की सीमा का अतिक्रमण किया। वादपत्र का पंजीकरण कर प्रतिवादी को सूचना जारी करने के स्थान पर, विचारण न्यायालय ने न्यास के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित जांच प्रारंभ कर दी तथा प्रबंध न्यासी के अधिकार के संबंध में निष्कर्ष दर्ज कर दिए। ऐसा अभ्यास स्वाभाविक रूप से अभिलेखों की जांच तथा साक्ष्यों के मूल्यांकन की अपेक्षा करता था, जो विधिसम्मत रूप से केवल विचारण के दौरान ही किया जा सकता था।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24. पुनरीक्षण न्यायालय ने केवल विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रक्रियात्मक अनियमितता का परिमार्जन किया है। उसने पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम निर्णय नहीं किया है, बल्कि केवल यह निर्देश दिया है कि वादपत्र को लघु वाद न्यायालय के वाद के रूप में पंजीकृत किया जाए तथा प्रतिवादी को सूचना जारी करने के उपरांत विधि के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। ऐसा निर्देश यह सुनिश्चित करता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का परीक्षण, अभिवचनों की पूर्ति तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों के विचार के पश्चात् विधिसम्मत ढंग से किया जाए।

25. पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्देश किसी भी प्रकार से याचिकाकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। याचिकाकर्ता को उपलब्ध सभी आपत्तियाँ, जिनमें न्यास की ओर से वाद संस्थित करने वाले व्यक्ति के अधिकार से संबंधित आपत्ति भी सम्मिलित है, विचारण न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए पूर्णतः खुली रहेंगी और उनका निर्णय विचारण की कार्यवाही के दौरान विधि के अनुसार किया जाएगा।

26. यह भी उल्लेखनीय है कि दीवानी न्यायनिर्णयन को नियंत्रित करने वाला प्रक्रियात्मक अनुशासन, वाद के संस्थापन तथा वाद के विचारण को कार्यवाही के दो पृथक चरणों के रूप में मान्यता देता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना सीमित कार्यक्षेत्र तथा पृथक प्रक्रियात्मक ढाँचा होता है। वाद के संस्थापन के चरण में न्यायालय का दायित्व केवल वादपत्र का प्रथम दृष्टया परीक्षण करना होता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अभिवचन वाद-कारण का प्रकटीकरण करते हैं तथा क्या वाद की ग्राह्यता में कोई विधिक बाधा अभिलेख के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वाद के संस्थापन का यह चरण विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों के न्यायनिर्णयन का मंच नहीं है। ऐसे प्रश्नों का निर्धारण स्वभावतः विचारण के चरण का विषय है, जहाँ अभिवचन पूर्ण हो चुके होते हैं तथा दोनों पक्षों को अपने-अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



27. यह भी विधि द्वारा सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि किसी विधिक व्यक्तित्व, जैसे कि न्यास सोसाइटी अथवा कंपनी, की ओर से कार्यवाही संस्थित करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित प्रश्नों के निर्धारण हेतु सामान्यतः उसकी नियुक्ति, आंतरिक प्रस्तावों अथवा उस संस्था के शासकीय दस्तावेजों का परीक्षण आवश्यक होता है। अतः ऐसे प्रश्न सामान्यतः तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्न होते हैं, जिनका उचित निर्णय दोनों पक्षों के अभिवचनों तथा साक्ष्यों के अभाव में नहीं किया जा सकता। जब ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तब उन्हें प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाया जाना चाहिए और तत्पश्चात न्यायालय उपयुक्त विवादक या विचारणीय बिंदु निर्धारित कर, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए उनका निर्णय करता है।

28. वर्तमान वाद इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार न्यायालय, वाद के संस्थापन के प्रारंभिक चरण में, स्वप्रेरणा से ऐसे विषयों की जांच प्रारंभ कर देता है जो विधिसम्मत रूप से विचारण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो उससे व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को सूचना जारी किए बिना न्यास के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच की तथा प्रबंध न्यासी के अधिकार के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित कर दिए। इस प्रकार उसने ऐसे चरण में साक्ष्य के मूल्यांकन का कार्य किया, जबकि न तो ऐसी जांच अपेक्षित थी और न ही प्रक्रियात्मक दृष्टि से अनुमेय। ऐसा दृष्टिकोण दीवानी विचारण को नियंत्रित करने वाले स्थापित प्रक्रियात्मक ढाँचे के अनुरूप नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप पक्षकारों को अपने-अपने मामलों को विधिवत प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित होना पड़ सकता है।

29. पुनरीक्षण न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए वाद के पंजीकरण तथा तत्पश्चात प्रतिवादी को सूचना जारी करने का जो निर्देश दिया है, उससे उसने केवल कार्यवाही को उसी अवस्था में पुनर्स्थापित किया है, जहाँ से विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था। इस प्रकार, पुनरीक्षण न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कि पक्षकारों के मध्य विवाद का न्यायनिर्णयन सामान्य विधिक प्रक्रिया, अर्थात् अभिवचनों की पूर्ति, विवाद्यों के निर्धारण तथा साक्ष्यों के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाए।

30. फलतः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिसम्मत रूप से हस्तक्षेप किया तथा कार्यवाही को केवल उसी चरण पर पुनर्स्थापित किया, जहाँ से उसे विधि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था, अर्थात् वाद का पंजीकरण एवं प्रतिवादी को सूचना जारी करना, ताकि अभिवचनों की पूर्ति तथा साक्ष्यों पर विचार किए जाने के उपरांत पक्षकारों के मध्य विवाद का न्यायनिर्णयन किया जा सके।

31. पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई महत्वपूर्ण विधिक त्रुटि, अधिकारिता संबंधी त्रुटि अथवा प्रत्यक्ष विकृति प्रदर्शित नहीं की गई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय की पर्यवेक्षणीय अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का औचित्य प्रदान करे।

32. परिणामस्वरूप, यह याचिका किसी भी गुण-दोष से रहित पाई जाती है और तदनुसार निरस्त की जाती है।

33. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षकारों के दावों अथवा प्रतिरक्षाओं के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है। ट्रस्ट की ओर से वाद संस्थित करने वाले व्यक्ति के अधिकार, मकान-मालिक एवं किरायेदार संबंध के अस्तित्व तथा वादी की दावा की गई राहतों के प्रति पात्रता सहित सभी प्रश्न विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए जाने तथा विधि के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए पूर्णतः खुले रहेंगे। विचारण न्यायालय वाद का पंजीकरण करने तथा प्रतिवादी को सूचना जारी करने के उपरांत विधि के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ाएगा और यह प्रयास करेगा कि कार्यवाही का यथाशीघ्र, विधि के अनुरूप, निष्पादन किया जाए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव)

11 मार्च, 2026

इमरोज़/आरकेके

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"